कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि बिल 2020 के सम्बन्ध में जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन

कृषि विज्ञान केन्द्र, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली द्वारा प्रेमांजली स्वयं सहायता सहायता समूह के सहयोग से ग्राम लश्करीगंज में कृषकों एवं कृषक महिलाओं को तीनों किसान बिल के सम्बन्ध जानकारी देने के लिये एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री राकेश पाण्डे ने कृषक उत्पाद एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक-2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक-2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 के सम्बन्ध में उपस्थित कृषकों को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन बिलों में से पहला बिल कृषक उत्पाद एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक-2020 है जिसके अन्तर्गत कृषकों को उनके कृषि उत्पाद के लिये दिये जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम॰एस॰पी॰) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह भविष्य में भी जारी रहेगी, राज्यो के कानून मंडी एक्ट (ए॰पी॰एम॰सी॰) एक्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसान स्वेच्छा से अपना उत्पाद देश में कहीं पर भी बेचने के लिये स्वतंत्र होगा, किसान उपभोक्ता को सीधे अपना उत्पाद बेच सकेंगे जिससे उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतान में किसान का हिस्सा बढ़ेगा तथा आढ़तियो, कमीशन एजेन्टों, बिचौलियों द्वारा किये जा रहे किसानों के शोषण पर लगाम लगेगी। इससे कृषि बाजार के बाहर हो रहे व्यापार को कानून के अन्तर्गत लाया जा सकेगा तथा किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिये अतिरिक्त व्यापारिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा किसानों पर टैक्स का बोझ कम होने से उनकी आय बढ़ेगी। दूसरा

बिल मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक-2020 है जिसके अन्तर्गत किसान देश के किसी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/कम्पनी से लिखित करार/अनुबन्ध कर खेती कर सकेगा। इसमें खरीदार आवश्यक संसाधनों, तकनीकी सलाह और फसल जोखिम की जिम्मेदारी लेगा तथा उपज को खेत से ही उठा लेगा। इसमें बटाईदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है तथा किसी विवाद कि स्थिति में स्थानीय स्तर पर ही स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी समाधान की व्यवस्था है।

बिल में किसान की भूमि को बिक्री/लीज़/गिरवी रखना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के कारण किसान की भूमि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बिल में कम से कम एक फसल/सीजन/एक फसल या उत्पादन चक्र अथवा अधिकतम 5 वर्ष के लिये गारंटीड मूल्य के अनुबन्ध का प्रावधान है साथ ही उत्पाद का बाजार मूल्य गारंटीड मूल्य से अधिक होने पर किसान को बोनस/प्रीमियम/उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था है। पूर्व में भी कई राज्यों द्वारा अनुबन्ध खेती अधिनियम पारित किये गए हैं तथा पंजाब, बंगाल में पेप्सिको तथा हरियाणा में एस॰ए॰बी॰ मिलर द्वारा अनुबन्ध खेती करने से स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। तीसरा बिल आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 है जिसके अन्तर्गत किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा कर किसानों को अधिक मूल्य दिलाने तथा बिचौलियों, कमीशन एजेन्टों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी बनाकर कालाबाजारी करने पर रोक लगाना है। अकाल, प्राकृतिक आपदा, मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में यह बिल सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। अतः किसानों को इन कृषि बिलों पर भ्रम में न पड़कर इनमें अपने हित को देखना चाहिये। इसके अतिरिक्त श्री राकेश पाण्डे ने कृषक उत्पादक संघ, इसके गठन की प्रक्रिया, सरकार द्वारा इसके गठन के लिये दी जा रही सुविधाओं,

आर्थिक सहयोग आदि के बारे में विस्तार से बताते हुये किस प्रकार ये कम्पनियाँ किसानों के हित में कार्य करने के साथ-साथ आजीवन उनके तथा उनके परिवार को आय प्रदान कर सकती हैं, उनकी खेती के स्तर को उठा सकती हैं के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व सभी उपस्थित कृषकों, ग्रामीण महिलाओं तथा युवाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।

श्री मनीष तोमर, विषय वस्तु विशेषज्ञ ने स्वच्छता पखवाड़ा के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, घर में स्वच्छता, पशुशाला तथा आस-पास की स्वच्छता करते हुये पूरे गाँव तथा देश को स्वच्छ रखने के लिये कृषकों को प्रेरित किया। उन्होंने कृषि एवं पशुपालन के व्यर्थ पदार्थों को केंचुओं/वेस्ट डिकम्पोजर/पूसा बायो डिकम्पोजर से गला कर खाद बनाने तथा खेत व मेढ के खरपतवारों का नियंत्रण कर खेतों को भी स्वच्छ रखने की सलाह दी जिससे मृदा स्वास्थ्य बेहतर बनाने के साथ-साथ कीट व बीमारियों का नियंत्रण भी आसान होगा तथा कृषि रसायनों का कम प्रयोग करके भी पर्यावरण को स्वच्छ रक्खा जा सकेगा। श्री मनीष तोमर ने मास्क पहनने, हाथ धोने के सही तरीके का प्रदर्शन करते हुये मास्क के रख-रखाव तथा निस्तारण की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में 52 कृषक, 64 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं तथा 6 स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।